फर्द अहकाम

सुशीला बनाम श्याम लाल

18/2013

आज्ञा या विवरी	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
15/12	[illegible] पी.ओ. साहब [illegible] व्यस्त है। अतः [illegible] पूर्वानुसार दिनांक 15/3/22 को पेश हो।	
15/12	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उप० वादी द्वारा प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] उपस्थित सुनी गई। वाद उपस्थित अभिलेखों का मनन किया गया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद ग्रस्त आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र अपने सम्पूर्ण हक व अधिकार त्याग किया जा चुका है और रजिस्टर्ड हक त्याग के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी है जो विचाराधीन हो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा अपने हक व अधिकारों का सिविल न्यायालय से प्रकरण का निस्तारण नहीं हो जाता प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं पाया जाता है, जब प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला ही साबित नहीं होता प्रार्थीगण को सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना नहीं है इसलिए प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन निरस्त किया जाता है। उभय पक्ष अपना अपना खर्चा वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर हो।	

उप-खण्ड अधिकारी
[illegible] (दिल्ली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:04:55 IST
Reason: SelfAttested